रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052026-272637
CG-DL-E-16052026-272637

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2431]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2026/वैशाख 25, 1948
No. 2431]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2026/VAISAKHA 25, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2026

का.आ. 2523(अ).— यतः पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का प्रयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सहायिकिया, हितलाभ और सेवाएं प्राप्त करने में समर्थ बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता तथा दक्षता को बढ़ावा देता है:

और यतः, श्रम सुविधा पोर्टल श्रम कानून अनुपालन को सुव्यवस्थित करने और कार्य सुगमता में सुधार करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय (यहाँ इसके पश्चात मंत्रालय के रूप में संदर्भित) द्वारा शुरू किया गया एक एकीकृत वेब आधारित पोर्टल है, यह नियोक्ताओं और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संपर्क का एक एकल बिंदु है;

और यतः इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ परामर्श के पश्चात, सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) के लिए आधार प्रमाणीकरण नियम, 2020 (यहाँ इसके पश्चात बाद उक्त नियम के रूप में संदर्भित है) के नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अपने दिनांक 20 अप्रैल, 2026 के पत्र संख्या ईएफ . संख्या 13(16)/2022-ईजी –II के माध्यम से यह अनुमति दी थी कि उक्त मंत्रालय को प्रमाणीकरण करने और आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने हेतु प्रमाणीकरण के दौरान

आधार संख्या का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए और आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (यहाँ इसके पश्चात अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अधीन इसे अधिसूचित किया:

और यतः, उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट श्रम सुविधा पोर्टल पर मॉड्यूलों के लिए प्रयोक्ता विवरणों के सत्यापन (यहां इसके पश्चात उक्त प्रयोजनों के रुप में संदर्भित है) हेतु आधार प्रमाणीकरण निष्पादित किया जाएगा, और उक्त प्रयोजन के लिए आधार प्रमाणीकरण का निष्पादन स्वैच्छिक आधार पर होगा तथा मंत्रालय केवल 'हाँ/नहीं' और ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए ही आधार प्रमाणीकरण निष्पादित करेगा।

2. यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी होगी।

[फा. सं. जेड-20025/04/2026-एसएसपी]

अजय शर्मा, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2026

S.O. 2523(E).— Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas, the Shram Suvidha Portal is an unified web based portal lauched by the Ministry of Labour & Employment (herein after referred as the Ministry), to shreamline labour law compliance and improve the ease of doing business, it is a single point contact between employers and enforcement agencies;

And whereas the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed vide its letter no. eF. No. 13(16)/2022-EG-II , dated 20th April, 2026 for the purposes specified under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the said Ministry may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act):

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for verification of user details for modules on the Shram Suvidha Portal (hereinafter referred to as the said purpose) as specified under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the Ministry shall perform the Aadhaar authentication only for using Yes/No and eKYC authentication facilities.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. Z-20025/04/2026-SSP]

AJOY SHARMA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.05.16 22:03:51 +05'30'